



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-एम.एच.-अ.-26102021-230723  
CG-MH-E-26102021-230723

असाधारण  
EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4  
PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 512]  
No. 512]

नई दिल्ली, मंगलवार, अक्टूबर 26, 2021/कार्तिक 4, 1943  
NEW DELHI, TUESDAY, OCTOBER 26, 2021/KARTIKA 4, 1943

भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड

अधिसूचना

मुम्बई, 26 अक्टूबर, 2021

भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड

(निक्षेपागार और सहभागी) (दूसरा संशोधन) विनियम, 2021

सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन/2021/53.—भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड, निक्षेपागार अधिनियम, 1996 की धारा 25 के साथ पठित भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड अधिनियम, 1992 की धारा 30 द्वारा प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एतद्वारा भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (निक्षेपागार और सहभागी) विनियम, 2018 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित विनियम बनाता है, अर्थात्:-

- इन विनियमों को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (निक्षेपागार और सहभागी) (दूसरा संशोधन) विनियम, 2021 कहा जा सकेगा।
- वे राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को लागू होंगे।
- भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (निक्षेपागार और सहभागी) विनियम, 2018 में,-
  - विनियम 76 के उप-विनियम (1) में, शब्दों "पेशेवर कंपनी सचिव" के पश्चात् और शब्दों "द्वारा लेखापरीक्षित" से पूर्व, शब्द "या पेशेवर कॉस्ट अकाउंटेंट" अंतःस्थापित किए जाएंगे।

अजय त्यागी, अध्यक्ष

[विज्ञापन-III/4/असा./376/2021-22]

**पाद टिप्पण :**

1. भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (निक्षेपागार और सहभागी) विनियम, 2018, सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2018/40, 3 अक्तूबर, 2018 को भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे।
2. भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (निक्षेपागार और सहभागी) विनियम, 2018 तत्पश्चात् –
  - क. 4 जून 2019 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (निक्षेपागार और सहभागी) (संशोधन) विनियम, 2019, सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2019/20, द्वारा
  - ख. 21 फरवरी, 2020 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (निक्षेपागार और सहभागी) (संशोधन) विनियम, 2020, सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2020/04, द्वारा
  - ग. 17 अप्रैल, 2020 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (रेग्युलेटरी सैंडबॉक्स) (संशोधन) विनियम, 2020, सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2020/10, द्वारा
  - घ. 5 मई, 2021 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (फीस का भुगतान और भुगतान का माध्यम) (संशोधन) विनियम, 2021, सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2021/23, द्वारा
  - ङ. 3 अगस्त, 2021 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (रेग्युलेटरी सैंडबॉक्स) (संशोधन) विनियम, 2021, सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2021/30, द्वारा
  - च. 13 अगस्त, 2021 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (निक्षेपागार और सहभागी) (संशोधन) विनियम, 2021, सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2021/43, द्वारा संशोधित हुए थे।

**SECURITIES AND EXCHANGE BOARD OF INDIA****NOTIFICATION**

Mumbai, the 26th October, 2021

**SECURITIES AND EXCHANGE BOARD OF INDIA (DEPOSITORIES AND PARTICIPANTS)  
(SECOND AMENDMENT) REGULATIONS, 2021**

**No. SEBI/LAD-NRO/GN/2021/53.**—In exercise of the powers conferred by Section 30 of the Securities and Exchange Board of India Act, 1992 read with Section 25 of the Depositories Act, 1996, the Securities and Exchange Board of India hereby makes the following regulations to further amend the Securities and Exchange Board of India (Depositories and Participants) Regulations, 2018 namely:—

1. These regulations may be called the Securities and Exchange Board of India (Depositories and Participants) (Second Amendment) Regulations, 2021.
2. They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
3. In the Securities and Exchange Board of India (Depositories and Participants) Regulations, 2018-
  - I. In sub-regulation (1) of Regulation 76, after the words “*practicing Company Secretary*”, and before the words and symbol “*, for the purposes of*”, the words “*or a practicing Cost Accountant*” shall be inserted.

AJAY TYAGI, Chairman

[ADVT.-III/4/Exty./376/2021-22]

**Footnote:**

1. The Securities and Exchange Board of India (Depositories and Participants) Regulations, 2018 were published in the Gazette of India on October 3, 2018 vide No. SEBI/LAD-NRO/GN/2018/40.
2. The Securities and Exchange Board of India (Depositories and Participants) Regulations, 2018 were subsequently amended on, –
  - a. 4th June, 2019 by the Securities and Exchange Board of India (Depositories and Participants) (Amendment) Regulations, 2019 vide No. SEBI/LAD-NRO/GN/2019/20.
  - b. 21st February, 2020 by the Securities and Exchange Board of India (Depositories and Participants) (Amendment) Regulations, 2020 vide No. SEBI/LAD-NRO/GN/2020/04.
  - c. 17th April, 2020, by the Securities and Exchange Board of India (Regulatory Sandbox) (Amendment) Regulations, 2020, vide No. SEBI/LAD-NRO/GN/2020/10.
  - d. 5th May, 2021, by the Securities and Exchange Board of India (Payment of Fees and Mode of Payment) (Amendment) Regulations 2021, vide No. SEBI/LAD-NRO/GN/2021/23.
  - e. 3rd August, 2021, by the Securities and Exchange Board of India (Regulatory Sandbox) (Amendment) Regulations, 2021, vide No. SEBI/LAD-NRO/GN/2021/30.
  - f. 13th August, 2021 by the Securities and Exchange Board of India (Depositories and Participants) (Amendment) Regulations, 2021 vide No. SEBI/LAD-NRO/GN/2021/43.